सत्यप्रति नकल फरदी

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :बाराबंकी,तहसील :नवाबगंज
वाद संख्या :-19780/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201841248011978O
सियाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

पाहरा- 142/2020

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत सियाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट, उत्तर टोला बंकी बाराबंकी द्वारा संरक्षक/अध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल पुत्र सियाराम जायसवाल नि0 मो0 उत्तर टोला कस्बा बंकी पर0 व तह0 नवाबगंज, बाराबंकी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 31–12–2018 पर तहसीलदार नवाबगंज द्वारा नियत प्रारूप पर प्रेषित आख्या दिनांक 06–07–2020 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खाता संख्या 00410 गाटा संख्या 184मि0 रकबा 0.491हे0 भू0 राजस्व रू0 23.00 सियाराम गंगा प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट उत्तर टोला/अध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल पुत्र सियाराम जायसवाल निवासी मो0 उत्तर टोला कस्बा बंकी परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी के नाम व खाता संख्या 00416 गाटा संख्या 184मि0 रकबा 0.340हे0 भू0 राजस्व रू0 16.00 सुनील कुमार पुत्र सियाराम निवासी उत्तर टोला बंकी के नाम कुल 02 किता कुल रकबा 0.831हे0 स्थित ग्राम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी दर्ज अभिलेख है। वादी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर गैर कृषिक गतिविधियाँ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण गैर कृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

प्रकरण की जॉच पुनः नायब तहसीलदार श्री के0पी0सिंह से करायी गयी। प्राप्त आख्या दिनांकित 30–07–2020 के अनुसार ग्राम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज स्थित गाटा संख्या 184मि0 का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 30–07–2020 को किया गया। आवेदित रकबा 0.831हे0 में से 0.491हे0 सियाराम गंगा प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट के नाम तथा शेष रकबा 0.340हे0 सुनील कुमार जायसवाल के नाम दर्ज अभिलेख है। सुनील कुमार जायसवाल सियाराम गंगा प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट के संरक्षक हैं। गाटा संख्या 184मि0 आबादी से 100मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है तथा पक्की सडक से दूरी भी 100 मी0 से अधिक है। स्थलीय एवं अभिलेखीय तथ्यों के आधार पर आवेदित गाटा सामान्य कृषि भूमि की श्रेणी में आता है जिसका सर्किल रेट 72.00 लाख प्रति हे0 निर्धारित है। उक्त के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू0 59832.00 होती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित जॉच आख्या दिनांक 06–07–2020/नायब तहसीलदार देवा की आख्या दिनांक 30–07–2020 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वादी सुनील कुमार एवं सियाराम गंगा प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट, उत्तर टोला बंकी बाराबंकी द्वारा संरक्षक/अध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल के नाम खतौनी फ0 वर्ष 1427–1432 की खाता 00416 गाटा संख्या 184मि0 रकबा 0.340हे0 भू0 रा0 रू0 16.00 तथा खाता संख्या 00410 गाटा संख्या 184मि0 रकबा 0.491हे0 भू0 राजस्व रू0 23.00 कुल 02 किता कुल रकबा 0.831हे0 को धारा–80(2) राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उदघोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:–

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :बाराबंकी,तहसील :**नवाबगंज**
वाद संख्या :-19780/2018
कंप्यूटरीकृत **वाद संख्या** :-T201841248011978O
सियाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल **ट्रस्ट** आदि **बनाम उत्तर प्रदेश सरकार**
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- **उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006**

1–धारा–80 (2)उ0प्र0रा0सं0 2006 के अर्न्तगत तहसीलदार नवाबगंज/नायब तहसीलदार द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:–

राजस्व ग्राम का नाम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम पिता का नाम व स्थान	खतौनी खाता संख्या	खाते का क्षेत्रफल हे0 में	माल गुजारी रू0 में	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हे0 में	विशिष्ट के कृषि प्रयोजन के लिए रकबा या उसका कोई भाग	विशिष्ट विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मोहम्मदपुर परगना नवाबगंज	सियाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट. उत्तर टोला/अध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल पुत्र सियाराम जायसवाल नि0 मो0 उत्तर टोला कस्बा बंकी परग0 व तह0 नवाबगंज, बाराबंकी व सुनील कुमार पुत्र सियाराम निवासी उत्तर टोला बंकी	00410 00416	0.491 0.340	23.00 16.00	184मि0 184मि0	0.491 0.340	0.491हे0 0.340हे0 कुल 02 किता कुल रकबा 0.831हे0	चालान संख्या 5400/1/H5 00004 दिनांक 06–08–2020 उद्घोषणा शुल्क रू0 59832–00 व स्टाम्प शुल्क रू0 59832–00/06–08–2020 का छपाक स्टाम्प

2–वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति मे नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है।

3–वादी के आवेदित रकबा 0.831हे0 पर आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान है जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

4–उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली–2016 की धारा–85(2) के अर्न्तगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्याकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू0 59832–00 चालान संख्या 5400/01/H5 00004 दिनांक 06–08–2020 व विभाजन शुल्क रू0 1000–00 चालान संख्या 5400/01/H5 00005 दिनांक 06–08–2020 व स्टाम्प शुल्क के रूप में रू 59832–00/05–08–2020 का छपाक स्टाम्प क्रमशः रू0 5000/DE 740168, रू0 5000/DE 740169, रू0 5000/DE 740170, रू0 5000/DE 740371, रू0 5000/DE 740372, रू0 5000/DE 740373, रू0 5000/DE 740180, रू0 5000/DE 740181, रू0 5000/DE 740182, रू0 5000/DE 740186, रू0 5000/DE 740187, रू0 1000/BM 193398, रू0 1000/BM 193399, रू0 1000/BM 193400, रू0 1000/BM 193401, रू0 500/AD 767807, रू0 100/FL 175989, रू0 100/FL 175990, रू0 100/FL 175991, रू0 20/38AA 706568, रू0 38/38AA 706569 दाखिल किया गया है।

5– चूँकि वादी द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली–2016 के नियम–88 के अर्न्तगत उल्लिखित राजस्व संहिता–2006 की धारा–22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

6– इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू–स्वामी भू–अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नही करेगां इस सम्बन्ध मे वादी द्वारा स्टाम्प संख्या 14AE/211387/05-08-2020 पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

नवाबगंज
बाराबंकी

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :बाराबंकी,तहसील :नवाबगंज
वाद संख्या :-19780/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201841248O119780
सियाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी
7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ मे है. इस सम्बन्ध मे वादिनी द्वारा स्टाम्प संख्या 14AE/211387/05-08-
विवाद में आधार नही माना जायेगा। इस सम्बन्ध मे वादिनी द्वारा स्टाम्प संख्या 14AE/211387/05-08-
2020 पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा
आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना एवं मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित
क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।
9-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार नही हैं।

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खाता संख्या 00410 गाटा संख्या 184मि0 रकबा 0.491हे0 भू0 राजस्व रू0 23.00 व खाता संख्या 00416 गाटा संख्या 184मि0 रकबा 0.340हे0 भू0 राजस्व रू0 16.00 कुल 02 किता कुल रकबा 0.831हे0 को कृषि से अलग कार्यो में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 के अर्न्तगत गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नवाबगंज द्वारा अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार नवाबगंज की जॉच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का रकबा 0.831हे0 गैरकृषिक घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अर्न्तगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू0 59832-00, विभाजन शुल्क रू0 1000-00 का चालान एवं स्टाम्प शुल्क रू0 59832-00 का स्टाम्प शुल्क आवेदक द्वारा जमा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अर्न्तगत गैरकृषिक भूमि प्रस्तावित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी फ0 वर्ष 1427-1432 की खाता संख्या 00416 पर सुनील कुमार व खाता संख्या 00410 पर सियाराम गंगा प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित भूमि खाता संख्या 00416 गाटा संख्या 184मि0 रकबा 0.340हे0 भू0राजस्व रू0 16.00 व खाता संख्या 00410 गाटा संख्या 184मि0 रकबा 0.491हे0 भू0राजस्व रू0 23.00 कुल 02 किता कुल रकबा 0.831हे0 को धारा-80(2) उ0प्र0रा0सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अर्न्तगत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक को धारा 80(2) उ0प्र0रा0सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तो का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्या के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ0प्र0रा0सं0-2006 की धारा-82 के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचित अभिलेखागार हो।

दिनांक-- 05 अगस्त, 2020

(अभय कुमार पाण्डेय)
उपजिलाधिकारी
नवाबगंज- बाराबंकी
05/08/2020

TRUE COPY
06/08/2020

पृष्ठ संख्या :